

21/4/18

दिनांक 31/3/18 व 21/4/18 को अवेकाश होने से पत्रावली आज पेश हुई पी० आ० साहब का स्वयान्तरण होने से पत्रावली दिनांक 26/6/18 को पेश है।

10/5/18

अकारण उप./अनु./वकील फरथी/अप्राथा उप./अनु./पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। परकारण में सम्झाईस की गयी। परन्तु राखीनामा नहीं हुआ। अतः पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को वापिस लौटायी जाय। पत्रावली दिनांक 16/9/18 को पेश हो

सहायक कलेक्टर चित्तलपाना  
न्यायालय चित्तलपाना

16/8/18

पत्रावली प्रस्तुत/पी. आ. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त होने/मुख्यालय से बाहर होने/चुनाव कार्यों में व्यस्त/लोक अदालत केंद्र में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक.... 16/10/18 को पेश हो।

16/10/18

पत्रावली प्रस्तुत। पी० आ० साहब मुख्यालय से बाहर होने से पत्रावली दिनांक 21/11/18 को पेश है।

26-10-18

जाचीगल के वकील ने पत्रावली तलब का डा० पर प्रस्तुत कर पत्रावली पर सुनवाई का निर्देशन किया। विस पर सुना गया। अतः पत्रावली तलब का डा० पर स्वीकार किया जाना सुनाई सुनवाई हेतु पत्रावली आज पेशी पर ली गई। जाचीगल वकील ने विद्वी डा० पर प्रस्तुत कर निर्देशन किया कि उक्त प्रकरण में परकारण में आपल में राखिनामा हो गया है अतः उक्त प्रकरण को एक न्यायालय में आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः प्रकरण परित्यक्त विद्वी डा० पर के स्वीकार किया जावे। विस पर सुना गया। जाचीगल की पहचान वकील श्री शशीरचन्द्र विद्वी ने की। अतः जाचीगल का डा० पर (21-RT Act) परित्यक्त विद्वी डा०

बन्दी  
जगमोहन  
जा